उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–9
संख्या–2718 / दो–9–2017–17(11) / 2013
लखनऊ : दिनांक : 16 अक्टूबर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

श्री संजय कुमार सिंह यादव पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक–04.10.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उ0प्र0) नियमावली 1985 के नियम–16(1) (क)(सी) सपठित नियम–17(1)(क) के अधीन उनके सामान्य जी0पी0एफ0 खाता संख्या–जी0ए0यू0 / 78555 से अपने स्वयं की इलाज हेतु रू0–2,50,000 / –(रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3 / 4 भाग से अधिक नही होगी।

(2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।

(3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या–2718(1) / दो–9–2017, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

पंजीकृत– 1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, निधि–24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्परीक्षा अधिकारी–कास (VIII) फण्ड महालेखाकार कार्यालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ।
5– श्री संजय कुमार सिंह यादव, पी0सी0एस0 अपर निदेशक उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उ0प्र0 लखनऊ।
6– नियुक्ति अनुभाग–7 / गार्ड बुक की प्रति / कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।

GPF-IAS/PCS Fina
I